न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 6/2017 दायरा दिनांक : 06.01.2017

उनवान

1– बद्री लाल उम्र 50 वर्ष आत्मज रूगनाथ, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– मोहन लाल उम्र 47 वर्ष आत्मज रूगनाथ, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– गोरधन लाल उम्र 45 वर्ष आत्मज रूगनाथ, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– श्रीमती नवरंग बाई पत्नी श्री रूगनाथ उम्र वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्री चन्द्र प्रकाश उम्र 42 वर्ष आत्मज रतन लाल, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

2– श्री रामकृष्ण उम्र 55 वर्ष आत्मज रतन लाल, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– श्री कंवर लाल उम्र 60 वर्ष आत्मज पन्नालाल, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4– श्री नाथूराम उम्र 54 वर्ष आत्मज पन्नालाल, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5– श्रीकृष्ण उम्र 51 वर्ष आत्मज पन्नालाल, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– श्रीमती चन्द्री बाई पुत्री पन्नालाल, उम्र 48 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

7– श्रीमती गायत्री बाई पुत्री पन्नालाल, उम्र 47 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

8– श्री रतन पुत्र बिरधीलाल, उम्र 55 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

9– श्री ओम प्रकाश पुत्र बिरधीलाल, उम्र 52 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीछवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

10– श्री केवल चन्द पुत्र बिरधीलाल, उम्र 49 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीछवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

11– श्रीमती संताष बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी तुलसीराम उम्र 47 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

12– श्रीमती केवला बाई पुत्री बिरधीलाल उम्र 44 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीछवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

13– श्रीमती भंवरीबाई पत्नी बिरधीलाल उम्र 75 वर्ष, जाति बलाई, निवासी रीछवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ मृतक

14– श्रीमती धापू बाई जोजे रतन लाल उम्र 65 वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

15– श्री मोहन लाल पुत्र रतन लाल उम्र 50 वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

16– श्री मांगीलाल पुत्र नाथू लाल उम्र 65 वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

17– श्री विष्णु प्रसाद पुत्र श्री किशन लाल उम्र 70 वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

18– श्री बद्रीलाल पुत्र श्री किशन लाल उम्र 68 वर्ष, जाति कुलमी, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

19– श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री प्यारा उम्र 65 वर्ष, जाति सुथार, निवासी रीझोन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बच्चू लाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 609/2015 निर्णय दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादीगण ने एक वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था जिसमें यह अनुतोष चाहा गया था कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट वादीगण अपीलांट के खाते, कब्जे व काश्त की आराजी में जबरन रास्ता बनाना चाहते हैं । रेस्पोडेंट को वाद के सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 व 19 के नोटिस की जामील हो गई तथा वे बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई शेष रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की पत्रावली लोक अदालत केम्प रीझोन में रखी इसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई न अपीलांट ने वाद के निस्तारण में अपनी सहमति अथवा अनुमति दी और न ही अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य कोई समझौता पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों के विरूद्ध

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत को समझने में कानूनी गलती की है । रेस्पोडेंअ ने वाद का जवाबदावा भी पेश नहीं किया न कोई विवाद्यक बने हैं । अपीलांट को अपनी साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नहीं दिया है न सुनवाई का अवसर दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक्र तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 का दावा किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दावे का निस्तारण कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया अधीनस्थ न्यायालय को मेरिट पर निर्णय करना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.06.2016 में पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प रीझोन में पेश होना अंकित किया गया है । वादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित बताये गये हैं तथा प्रतिवादीगण की उपस्थिति बतायी गई है । पत्रावली में पक्षकारों को केम्प में उपस्थित होने बाबत तारीख पेश दिनांक 15.06.2016 दी गई है लेकिन नोटिस की तामील बाबत कोई आदेश नोटिस की पुश्त पर नहीं है । सम्मन की तामीली रिपोर्ट पर या पत्रावली में अन्य ऐसा कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है कि सम्मनित व्यक्ति के निकट भविष्य में घर पर मिलने की कोई संभावना नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

से यह भी परिलक्षित नहीं होता है कि तामील कुनिन्दा पीठासीन अधिकारी स्वयं के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा इस सम्बन्ध में परीक्षण किया गया हो । इस प्रकार चस्पानदगी द्वारा दशाई गयी उक्त तामील को सी. पी. सी. के उक्त प्रावधानुसार विधिवत् तामील कराया जाना नहीं माना जा सकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही को हम कानूनी दृष्टिकोण से उचित नहीं मानते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से हम इसे पुनः प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा